अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.1-4/2025-हिं.अ. दिनांक: 06.11.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुपालन संबंधी।

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन सं.ई.-16/1/2025-हिंदी के द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की सचिव महोदया के दिनांक 9 अक्तूबर, 2025 का अ.शा.पत्र सं.12019/04/2025-रा.भा.(का.2) संस्थान को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है जिसमें संस्थान में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) और राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

संस्थान में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले 14 प्रकार के सभी दस्तावेज़ द्विभाषी रूप में जारी किए जाने अनिवार्य हैं। इसके साथ-साथ राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाने अपेक्षित हैं। यह देखा गया है तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता संस्थान के कुछ अनुभागों/केंद्रों द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का सही प्रकार से अनुपालन नहीं किया जाता है। इस संबंध में सभी अनुभागों/विभागों/केंद्रों से यह अपेक्षित है कि वे इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें। ज्ञातव्य है कि धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी 14 कागजात (संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें एवं सरकारी कागजपत्र, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, टेंडर नोटिस और टेंडर फार्म) द्विभाषी रूप में साथ-साथ ही जारी किए जाएं और जारी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपांतर अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/पहले रहे।

इसके अलावा, राजभाषा विभाग के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में न देकर अंग्रेजी में दे दिया जाता है। राजभाषा नियम 5 एवं 7 के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान के किसी अनुभाग/विभाग/केंद्र में यदि कोई पत्र हिंदी में प्राप्त हुआ है अथवा कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में प्राप्त हुआ है अथवा उस पर यदि हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तो उसका उत्तर सम्बद्ध अनुभाग/विभाग/केंद्र द्वारा हिंदी में ही दिया जाए।

जारी-2/-

अत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रेषित राजभाषा विभाग की सचिव महोदया के उक्त अ.शा. पत्र के अनुपालन में, संस्थान के सभी विभागों एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों/प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त विषय की गरिमा को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि आपके अनुभाग/विभाग/केंद्र में इन नियमों का कोई उल्लंघन न हो और सरकारी कार्यों में राजभाषा के प्रयोग तथा उपर्युक्त दोनों नियमों की निगरानी आप अपने स्तर पर करेंगे।

इसे निदेशक महोदय के अनुमोदन से आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

दिव्या

(दिव्या यानामदाला)
वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

वितरण:- सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र।

प्रतिलिपि:-

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक)/चिकित्सा अधीक्षक/अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता के निजी सचिव।
- उप-निदेशक (रा.भा.) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

नोट:

- **"क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।**
- **"ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।**
- **"ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।**